भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4155 का उत्तर

पेट्टावैथलाई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव

4155. श्री दुरई वाइको:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि तिरुचिरापल्ली जिले के पेट्टावैथलाई और आसपास के गांवों के बड़ी संख्या में यात्री मैसूरु, सेलम, वृद्धाचलम और कुड्डालोर की यात्रा के लिए ट्रेन संख्या 16231/16232 मैसूरु-कुड्डालोर पोर्ट एक्सप्रेस पर निर्भर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त ट्रेन वर्तमान में पेट्टावैथलाई रेलवे स्टेशन से बिना किसी निर्धारित ठहराव के गुजरती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जनता/निर्वाचित प्रतिनिधियों से पेट्टावैथलाई रेलवे स्टेशन पर उक्त ट्रेन के ठहराव का अनुरोध करने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार यात्री मांग, कनेक्टिविटी की जरूरतों और जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए पेट्टावैथलाई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 16231/16232 मैसूरु-कुड्डालोर पोर्ट एक्सप्रेस के लिए ठहराव प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): वर्तमान में, पेट्टवायत्तलै स्टेशन निम्नलिखित 10 जोड़ी रेल सेवाओं द्वारा सेवित है:

क्र.सं.	रेलगाड़ी संख्या और नाम
1.	16811 मयिलाडुतुरै - सेलम एक्सप्रेस

2.	16812 सेलम - मयिलाडुतुरै एक्सप्रेस
3.	16843 तिरुच्चिराप्पल्लि - पालक्काड टाउन एक्सप्रेस
4.	16844 पालक्काड टाउन - तिरुच्चिराप्पल्लि एक्सप्रेस
5.	56105 तिरुच्चिराप्पल्लि - ईरोड पैसेंजर
6.	56106 ईरोड - तिरुच्चिराप्पल्लि पैसेंजर
7.	56809 तिरुच्चिराप्पल्लि - ईरोड पैसेंजर
8.	56810 ईरोड - तिरुच्चिराप्पल्लि पैसेंजर
9.	76809 तिरुच्चिराप्पल्लि - करुर पैसेंजर
10	76810 करुर - तिरुच्चिराप्पल्लि पैसेंजर

ये रेल सेवाएं अन्य बातों के साथ-साथ सेलम, इरोड, तिरुचिरापल्ली आदि शहरों को संपर्कता प्रदान कर रही हैं। गाड़ी सं. 16231/16232 मैसूरु-कुड्डालोर पोर्ट एक्सप्रेस का कुलित्तलै स्टेशन पर निर्धारित ठहराव है जो पेट्टवायत्तलै से 9 कि.मी. दूर है।

संसद सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि से अन्य बातों के साथ-साथ रेलगाड़ियों के ठहराव के प्रावधान के लिए रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे, मंडल कार्यालय आदि विभिन्न स्तरों पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से प्रस्ताव/अनुरोध/सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। चूंकि ऐसे प्रस्ताव/अनुरोध/सुझाव प्राप्त होना एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए ऐसे अनुरोधों का केन्द्रीकृत सार-संग्रह नहीं रखा जाता। बहरहाल, समय-समय पर इनकी जांच की जाती है और व्यवहार्य एवं औचित्यपूर्ण पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है, जो सतत् प्रक्रिया है।

इसके अलावा, रेलगाड़ी सेवाओं के ठहराव का प्रावधान यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता के साथ-साथ रेलखंड में अतिरिक्त समय की उपलब्धता और प्लेटफार्म की लंबाई आदि जैसी समान अवसंरचना की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
